PURNEA UNIVERSITY, PURNIA

[Estd. In 2018 under the Bihar State Universities (Amendment) Act, 2016 (Bihar Act,13, 2016)]

(Administrative Block, Pratap Nagar, Purnea Bihar – 854301)

website : https://www.purneau.ac.in E-mail : registrar@purneau.ac.in

पत्रांक : PUP (Estt. – 410 / 26) – R / 26 – 1276 दिनांक : 06.08.2026

आवश्यक सूचना

विषय : बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों के काउंसलिंग एवं अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना द्वारा कुल छः विषयों यथा : - हिन्दी (CAP-HIND-01/26), अर्थशास्त्र (CAP-ECON-02/26), इतिहास (CAP-HIST-03/26), राजनीति विज्ञान (CAP-POLI-04/26), अंग्रेजी (CAP-ENGL-05/26), समाजशास्त्र (CAP-SOCI-06/26) विषयों में जारी विज्ञापन के विरुद्ध संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक पद पर अंतिम रूप से चयनित एवं पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ में आवंटित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका विश्वविद्यालय स्तरीय काउंसलिंग एवं मूल अभिलेख सत्यापन निम्नांकित कार्यक्रमानुसार आयोजित किया जाएगा।

काउंसलिंग कार्यक्रम

- **काउंसलिंग की तिथि : दिनांक : 07.08.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 01:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक एवं**
  दिनांक :08.08.2026 (शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक।
- **स्थान : सीनेट हॉल, प्रशासनिक भवन, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ, बिहार - 854301**

काउंसलिंग हेतु आवश्यक अभिलेख

अभ्यर्थी निम्नलिखित सभी अभिलेखों की मूल प्रति एवं स्व-अभिप्रमाणित (**Self-Attested**) छायाप्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों : -

1. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा निर्गत चयन/आवंटन पत्र।
2. शपथ-पत्र (विहित प्रारूप में)।
3. सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र (Medical Certificate)।
4. पुलिस अधीक्षक / समकक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate)।
5. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र (मैट्रिक अथवा समकक्ष)।
6. जाति, आवास, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांग आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
7. आवेदन के साथ संलग्न सभी शैक्षणिक, तकनीकी, अनुभव एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र/अंकपत्र।
8. दो (02) नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ, वैध फोटो पहचान-पत्र एवं आवेदन-पत्र की प्रति।
9. उपर्युक्त सभी अभिलेखों की दो अतिरिक्त स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति।

कुलसचिव
पूर्णियाँ विश्वविद्यालय
पूर्णियाँ (बिहार)
पिन – 854301

विशेष निर्देश:

I. निर्धारित तिथि एवं समय पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

II. काउंसलिंग के समय सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा।

III. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग के समय चिकित्सा प्रमाण-पत्र (Medical Certificate) अथवा चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate) प्रस्तुत करना संभव नहीं हो, तो विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की पूर्वानुमति से उक्त प्रमाण-पत्रों के जमा करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकेगा।

IV. उपर्युक्त छूट केवल चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र तक सीमित होगी। अन्य सभी आवश्यक अभिलेख काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

V. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अवधि के भीतर संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

VI. काउंसलिंग एवं अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही नियुक्ति संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार

06.8.26

(प्रो. अखिलेश कुमार)
कुलसचिव

ज्ञापांक : PUP (Estt. – 410 / 26) – R / 26 – 1276 दिनांक : 06.08.2026

प्रतिलिपि : सत्यापन समिति से सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप – कुलसचिव (स्थापना), पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी आई.टी. सेल, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि : माननीय कुलपति के निजी सहायक, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : गार्ड फाईल : संधारण हेतु।

06.8.26

(प्रो. अखिलेश कुमार)
कुलसचिव